

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु भारत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 जनवरी 2017— माघ 5, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्रमांक 832/डी. 17/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 1 सन् 2017)

## छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्राख्यापित किया गया.

यतः राज्य विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्राख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार तथा प्रारंभ

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 कहलाएगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ आबकारी  
अधिनियम, 1915 (क  
2 सन् 1915) को  
अस्थायी रूप से  
संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्वधीन रहते हुये, प्रभावी होगा.

धारा 18क का  
संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 18क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“18क. निर्माण, विक्रय आदि का अनन्याधिकार प्रदान करने की शक्ति.-

- (1) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य शासन, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी मादक द्रव्य, विकृत स्फिरिटयुक्त निर्मिति या भांग का विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, भण्डारण, क्रय, थोक विक्रय, फुटकर विक्रय या संग्रहण का अनन्याधिकार, राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण के किसी भी निगम को प्रदान कर सकेगा.
- (2) पूर्वोक्त प्रयोजन हेतु आबकारी आयुक्त, शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अध्वधीन रहते हुये, निगम को आवश्यक लायसेंस प्रदान कर सकेगा
- (3) ऐसे लायसेंस प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसा निगम पूर्वोक्त प्रयोजनों हेतु अपनी इकाईयां, शाखाएं, गोदाम एवं दुकान को ऐसे स्थानों पर तथा ऐसी शर्तों के अध्वधीन, जैसा कि आबकारी आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, स्थापित कर सकेगा.”



रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्रमांक 832/डी. 17/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-1-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

## CHHATTISGARH ORDINANCE

(No. 1 of 2017)

## THE CHHATTISGARH EXCISE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2017

An Ordinance to further amend the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

- |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | (1) | This Ordinance may be called the Chhattisgarh Excise (Amendment) Ordinance, 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Short title, extent and commencement.                                        |
|    | (2) | It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|    | (3) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
| 2. |     | During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1995), (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Section 3 of this Ordinance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) to be temporarily amended. |
| 3. |     | For Section 18A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-<br>"18A. Power to grant exclusive right for manufacture, sale, etc.-<br>(1) Notwithstanding anything contained in the Act, the State Government may by general or special order grant exclusive right for the manufacture, import, export, transport, storage, purchase, wholesale, retail sale or collection of any intoxicant, denatured spirituous preparations or hemp to any Corporation wholly owned and controlled by the State Government.<br>(2) For the aforesaid purpose, the Excise Commissioner, subject to the rules made by the Sate Government, may grant necessary licence to the Corporation.<br>(3) For the aforesaid purposes, the Corporation, after receiving such licence, may establish its units, branches, depot and shops at such places and subject to such conditions as the Excise Commissioner may specify." | Amendment of Section 18A.                                                    |